कार्यालय कलेक्टर (शिक्षा) जिला खरगोन

क्रमांक/सामा.1/मान्यता/2020/1866-67 खरगोन, दिनांक- 8/09/2020

प्रति,

संचालक/प्राचार्य/प्रधानपाठक

अशासकीय विद्यालय (एम.पी.बोर्ड, सी.बी.एस.ई. सहित)

जिला-खरगोन।

विषयः- लॉकडाउन अवधि में पालको द्वारा गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की फीस के भुगतान के संबंध में।

संदर्भः-1. उपसचिव, स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. भोपाल के पत्र कमांक/एफ 50-4/2020/20-2 भोपाल दिनांक 24 अप्रेल 2020 एवं 16 मई 2020.

2. जिला शिक्षा अधिकारी जिला खरगोन के पत्र कमांक/सामा.1/मान्यता/2020/1112 खरगोन दिनांक 26/06/2020.

3. उपसचिव, स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. भोपाल के पत्र कमांक/एफ 50-4/2020/20-3 भोपाल दिनांक 05/09/2020.

--00--

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में निर्देशित किया जाता है कि संदर्भित पत्रों के वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए अशासकीय विद्यालयों द्वारा लॉकडाउन अवधि में पालकों से मात्र शिक्षण शुल्क प्रभारित किया जा सकेगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। उक्त के उपरांत भी कतिपय विद्यालयों में पालको से शिक्षण शुल्क अधिक लेने की शिकायते प्राप्त हो रही है।

उक्त के संबंध में निम्नलिखित निर्देश जारी किए किए जा रहे है-

1. ऐसे पालकगण जो परिस्थितिवश विगत शैक्षणिक सत्र 2019-20 के बकाया शुल्क जमा नही कर पाए है, वे उक्त शुल्क दिनांक 30/09/2020 तक जमा कर सकेंगे। इस हेतु उनसे कोई विलंब शुल्क या अन्य शुल्क प्रभारित नही किया जाएगा।
2. वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए आगामी आदेश तक अशासकीय विद्यालयों द्वारा कोई शुल्क वृद्धि नहीं की जा सकेगी। इसके अलावा पालको को फीस की एकमुश्त अदायगी हेतु बाध्य नही किया जाएगा। निजी विद्यालयों द्वारा पालको की सुविधा अनुसार मासिक रूप से अथवा न्यूनतम चार किश्तों में फीस ली जा सकेगी। फीस जमा न किए जाने के कारण किसी भी छात्र/छात्रा का नाम विद्यालय से नही काटा जाएगा
3. वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत अभिभावकों की आर्थिक कठिनाईयों के कारण यदि उनके द्वारा आपदा अवधि में शुल्क को स्थगित किए जाने का अनुरोध किया जाता है तो निजी विद्यालय इस पर सकारात्मक रूप से विचार करेंगे एवं फीस स्थगित किये जाने की स्थिति में उक्त शुल्क को आगामी माहों में किश्तों के आधार पर समायोजित किया जा सकेगा।
4. जिन अशासकीय विद्यालयों द्वारा वर्तमान में ऑनलाईन अध्यापन गतिविधियां प्रारंभ की गई है अथवा यदि वे ऐसी गतिविधिया प्रारंभ करना चाहें तो वे ऐसी गतिविधियां जारी रख सकेंगे/प्रारंभ कर सकेंगे, तथापि इस हेतु कोई अतिरिक्त फीस नही ली जाएगी।
5. विद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक/गैर-शैक्षणिक स्टॉफ को नियमित रूप से वेतन का भुगतान किया जाएगा।

Scanned by CamScanner

6. किसी भी स्थिति में संबंधित बोर्ड की पुस्तकों के अतिरिक्त किसी अन्य पुस्तकों के क्रय हेतु अभिभावकों/पालकों को बाध्य नही किया जाएगा।

उपरोक्तानुसार निर्देश जिले की समसत सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई./मा.शि.मं. तथा अन्य समस्त बोर्ड से सम्बद्ध गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों पर समान रूप से लागू होंगे। अशासकीय शालाओं के द्वारा अध्ययनरत विद्यार्थियों से केवल शिक्षण शुल्क (ट्युशन फीस) ही ली जाए। उपरोक्त निर्देशो का पालन नही करने वाले अशासकीय विद्यालयों के विरूद्ध मान्यता नियमों के तहत मान्यता समाप्ति की कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।

(अनुग्रहा पी.)
कलेक्टर
जिला–खरगोन

पृ.क्रमांक/सामा.1/मान्यता/2020/1866-67

खरगोन, दिनांक-08-09-2020

प्रतिलिपिः–

1. उप सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल।
2. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल।
3. संभागायुक्त इंदौर संभाग इंदौर।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत खरगोन।
5. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण इंदौर संभाग इंदौर।
6. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग खरगोन।
7. विकासखंड शिक्षा अधिकारी समस्त जिला खरगोन।
8. विकासखंड स्त्रोत समन्वयक समस्त जिला खरगोन।
9. संकुल प्राचार्य समस्त शास.हाई/हायर सेकेण्डरी जिला खरगोन की ओर सूचनार्थ एवं पत्र तामिली हेतु।
10. स्टेनो–टू–कलेक्टर जिला खरगोन

कलेक्टर
जिला–खरगोन

Scanned by CamScanner